प्रकीर्ण संख्या-118/21
MACP.No-198/19
सुन्नी यादव बनाम राकेश

दिनांक:10.07.21

राष्ट्रीय लोक अदालत

आज यह प्रकीर्ण पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याची श्रीमती सुन्नी मय अधिवक्ता उपस्थित है।

याची की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3B मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि MACP.No-198/19 का निस्तारण प्रतिकर की धनराशि रु० 50,000/- हेतु राजीनामा के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.20 को लोक अदालत में किया गया था, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा उक्त राशि सिंडीकेट बैंक में जमा की जा चुकी है। अत: उक्त धनराशि याची को प्रदान की जाये। याची की ओर से आधार कार्ड एवं बैंक खाता पास बुक की छाया प्रतियां दाखिल की गयीं।

सुना तथा कार्यालय आख्या का अवलोकन किया।

कार्यालय आख्या के अनुसार प्रतिकर की धनराशि रु० 50,000/- सिंडीकेट बैंक में बैंक रैफरेंस संख्या-365201355329598 के अनुसार दिनांक 30.12.20 को जमा की गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि बैंक में जमा की जा चुकी है, जिसे याची प्राप्त करने की अधिकारी है।

आदेश

याची श्रीमती सुन्नी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3B स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबन्धक, सिंडीकेट बैंक, शाखा-झोकनबाग, झांसी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी बीमा कम्पनी चोला मण्डलम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा बैंक रैफरेंस संख्या-365201355329598 के अनुसार दिनांक 30.12.20 को जमा की गयी धनराशि रु० 50,000/- याची श्रीमती सुन्नी के बैंक खाता संख्या-3349818871 IFSC Code-CBIN0280177 सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा-चिरगांव, झांसी में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। Zero

C K Kumar
10/7/21
(चंद्रोदय कुमार)
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 05:40:42 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI